

गृह मंत्रालय
मांग संख्या 48
पुलिस

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
कुल	71974.22	10544.50	82518.72	77314.80	11063.45	88378.25	83969.79	9810.50	93780.29	88715.24	10818.22	99533.46	
वसूलियां	-622.63	-9.33	-631.96	-476.49	-15.26	-491.75	-1249.54	-32.63	-1282.17	-1303.29	-27.94	-1331.23	
प्राप्तियां	
निवल	71351.59	10535.17	81886.76	76838.31	11048.19	87886.50	82720.25	9777.87	92498.12	87411.95	10790.28	98202.23	
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:													
केंद्र का व्यय													
केन्द्र का स्थापना व्यय													
1. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल													
1.01	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	18083.49	476.87	18560.36	19799.85	468.18	20268.03	22187.66	458.97	22646.63	23259.51	704.15	23963.66
1.02	राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड	880.07	88.28	968.35	934.54	98.76	1033.30	966.62	61.46	1028.08	1027.04	92.63	1119.67
1.03	सीमा सुरक्षा बल	15810.67	208.21	16018.88	16884.78	233.86	17118.64	18369.72	216.24	18585.96	19402.85	247.89	19650.74
1.04	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	5009.69	68.41	5078.10	5409.11	112.56	5521.67	5508.99	112.56	5621.55	5909.98	108.71	6018.69
1.05	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	7567.08	47.14	7614.22	8175.02	42.90	8217.92	8589.59	45.24	8634.83	9109.02	46.09	9155.11
1.06	असम रायफल	4801.15	230.01	5031.16	5329.84	218.90	5548.74	5496.21	179.16	5675.37	5766.67	234.80	6001.47
1.07	सशस्त्र सीमा बल	4553.96	87.06	4641.02	4831.10	98.80	4929.90	5376.59	98.80	5475.39	5582.48	104.73	5687.21
1.08	विभागीय लेखांकन	95.24	...	95.24	103.11	...	103.11	111.94	...	111.94	117.35	...	117.35
	जोड़- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल	56801.35	1205.98	58007.33	61467.35	1273.96	62741.31	66607.32	1172.43	67779.75	70174.90	1539.00	71713.90
2.	आसूचना ब्यूरो	1852.82	17.86	1870.68	1854.44	22.00	1876.44	2008.85	47.20	2056.05	2275.60	108.50	2384.10
3.	राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड	19.12	...	19.12	28.20	19.08	47.28	26.29	4.00	30.29	30.60	20.22	50.82
4.	विशेष रक्षा दल	320.93	49.10	370.03	343.25	41.75	385.00	372.53	39.15	411.68	420.35	115.10	535.45
5.	दिल्ली पुलिस	6364.13	156.88	6521.01	6791.60	154.68	6946.28	7017.23	189.68	7206.91	7274.28	222.63	7496.91
6.	केंद्रीय पुलिस संगठन	676.72	9.41	686.13	790.37	36.35	826.72	799.75	26.55	826.30	877.18	53.77	930.95
7.	शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान	192.65	12.39	205.04	279.44	29.70	309.14	254.81	21.50	276.31	308.10	26.42	334.52
8.	अपराध विज्ञान और न्यायिक विज्ञान	44.78	8.34	53.12	53.91	19.51	73.42	54.39	12.36	66.75	60.23	20.71	80.94
	जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	66272.50	1459.96	67732.46	71608.56	1597.03	73205.59	77141.17	1512.87	78654.04	81421.24	2106.35	83527.59
	केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
9.	आईवीएफआरटी (आव्रजन, बीजा तथा विदेशियों का पंजीकरण तथा नजर	85.59	...	85.59	72.60	...	72.60	72.60	...	72.60	77.00	...	77.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
रखना)												
10. बीएसएफ एयर विंग, विमान नदी की नाव और हेलीकॉप्टर	25.81	66.05	91.86	42.46	132.60	175.06	32.42	147.51	179.93	39.93	139.10	179.03
11. रख-रखाव और बार्डर चेक पोस्ट :												
11.01 रख-रखाव और बार्डर चेक पोस्ट	248.49	...	248.49	169.44	...	169.44	268.01	...	268.01	247.09	...	247.09
11.02 पूंजी परिव्यय	...	1773.37	1773.37	...	1580.56	1580.56	...	1732.97	1732.97	...	1881.84	1881.84
जोड़- रख-रखाव और बार्डर चेक पोस्ट :	248.49	1773.37	2021.86	169.44	1580.56	1750.00	268.01	1732.97	2000.98	247.09	1881.84	2128.93
12. पुलिस अवसंरचना												
12.01 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठन की भवन परियोजनाएं	...	4295.92	4295.92	...	4289.05	4289.05	...	4414.80	4414.80	...	4371.91	4371.91
12.02 दिल्ली पुलिस	...	249.38	249.38	...	460.95	460.95	...	420.95	420.95	...	384.86	384.86
जोड़- पुलिस अवसंरचना	...	4545.30	4545.30	...	4750.00	4750.00	...	4835.75	4835.75	...	4756.77	4756.77
13. नेपाल पुलिस अकादमी के लिए सहायता	11.78	...	11.78
14. नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो	5.00	...	5.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00
15. महिलाओं की सुरक्षा हेतु योजना												
15.01 निर्भया निधि अंतरण	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
15.02 राष्ट्रीय आपात प्रतिक्रिया प्रणाली और महिला और बच्चों के प्रति साइबर अपराध रोकथाम , सुरक्षित शहर परियोजना और विविध योजनाएं	141.28	3.82	145.10	66.49	15.26	81.75	839.54	32.63	872.17	863.29	27.94	891.23
15.03 निर्भया निधि से लिया गया	-129.41	-3.82	-133.23	-66.49	-15.26	-81.75	-839.54	-32.63	-872.17	-863.29	-27.94	-891.23
निवल	61.87	...	61.87	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00
16. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र	6.00	...	6.00	100.00	...	100.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	426.76	6384.72	6811.48	354.28	6463.16	6817.44	437.03	6716.23	7153.26	522.02	6777.71	7299.73
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
17. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण	100.00	...	100.00	236.29	...	236.29	237.44	...	237.44	250.42	...	250.42
अन्य												
18. इंडिया रिजर्व बटालियन और बटालियन तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति	149.60	5.00	154.60	108.87	5.00	113.87	95.30	5.00	100.30	125.30	5.00	130.30
19. कल्याण अनुदान और विविध	275.74	...	275.74	203.05	...	203.05	307.70	...	307.70	246.95	...	246.95
20. अनुसंधान	456.00	2691.00	3147.00	399.00	2983.00	3382.00	538.85	1543.77	2082.62	558.78	1901.22	2460.00
जोड़-अन्य	881.34	2696.00	3577.34	710.92	2988.00	3698.92	941.85	1548.77	2490.62	931.03	1906.22	2837.25
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	981.34	2696.00	3677.34	947.21	2988.00	3935.21	1179.29	1548.77	2728.06	1181.45	1906.22	3087.67
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
पुलिस बल का आधुनिकीकरण												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
21. पुलिस बल का आधुनिकीकरण												
21.01 राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और सीसीटीएनएम	798.69	...	798.69	897.29	...	897.29	915.79	...	915.79	959.80	...	959.80
21.02 वामपंथ प्रभावित क्षेत्रों के लिए एसआरई एवं विशेष अवसंरचना स्कीम	1747.14	...	1747.14	2260.00	...	2260.00	2276.00	...	2276.00	2502.50	...	2502.50
जोड़- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	2545.83	...	2545.83	3157.29	...	3157.29	3191.79	...	3191.79	3462.30	...	3462.30
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम												
22. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1100.00	...	1100.00	770.97	...	770.97	770.97	...	770.97	824.94	...	824.94
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	3645.83	...	3645.83	3928.26	...	3928.26	3962.76	...	3962.76	4287.24	...	4287.24
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
23. गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन को अनुदान	134.99	...	134.99
24. वास्तविक वमूलियां	-109.83	-5.51	-115.34
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	25.16	-5.51	19.65
कुल जोड़	71351.59	10535.17	81886.76	76838.31	11048.19	87886.50	82720.25	9777.87	92498.12	87411.95	10790.28	98202.23
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. पुलिस	67534.70	...	67534.70	72948.35	...	72948.35	78785.51	...	78785.51	83148.49	...	83148.49
2. पुलिस पर पूंजी परिव्यय	...	10530.17	10530.17	...	10346.25	10346.25	...	9094.93	9094.93	...	10020.74	10020.74
जोड़-सामान्य सेवाएं	67534.70	10530.17	78064.87	72948.35	10346.25	83294.60	78785.51	9094.93	87880.44	83148.49	10020.74	93169.23
अन्य												
3. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3812.67	...	3812.67	3877.73	...	3877.73	3933.84	...	3933.84	4257.45	...	4257.45
4. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	4.22	...	4.22	0.45	...	0.45	0.90	...	0.90	6.01	...	6.01
5. अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	11.78	...	11.78
6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	696.94	696.94	...	677.94	677.94	...	764.54	764.54
7. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
जोड़-अन्य	3816.89	5.00	3821.89	3889.96	701.94	4591.90	3934.74	682.94	4617.68	4263.46	769.54	5033.00
कुल जोड़	71351.59	10535.17	81886.76	76838.31	11048.19	87886.50	82720.25	9777.87	92498.12	87411.95	10790.28	98202.23

1. **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल:** यह प्रावधान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों अर्थात् केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, असम रायफल्ल, सशस्त्र सीमा बल तथा इन बलों से संबद्ध विभागीय लेखाकरण संगठनों के प्रशासनिक व्ययों को वहन करने के लिए है। पूंजीगत भाग के अंतर्गत प्रावधान मशीन एवं उपकरणों तथा मोटर वाहनों के प्रापण के लिए है।

2. **आसूचना ब्यूरो:** यह प्रावधान आसूचना ब्यूरो के प्रशासनिक व्ययों को वहन करने के लिए है।

3. **राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड:** यह प्रावधान राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड के लिए है जिसका उद्देश्य आतंकवाद का मुकाबला करने में एक इनपुट के रूप में डाटा बेसों को जोड़ना है। इसका उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करने की क्षमता में सुधार करने की सुविधा मुहैया कराना है।

4. **विशेष रक्षा दल:** इसमें विशेष सुरक्षा ग्रुप के लिए प्रावधान शामिल है जो भारत के प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों, भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के परिवार के सदस्यों तथा अन्य सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को समीप से सुरक्षा प्रदान करता है।

5. **दिल्ली पुलिस:** दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी जिम्मेदारी में शहर में यातायात प्रबंधन भी शामिल है। इस प्रावधान में नेमी खर्चें तथा एनसीआर महानगरों में यातायात एवं संचार नेटवर्क तथा मॉडल यातायात प्रणाली विकसित करने, संचार अवसंरचना के उन्नयन अथवा विस्तार, प्रशिक्षण के उन्नयन, नवीनतम प्रौद्योगिकी को लागू करना तथा यातायात सिगनल लगाने आदि जैसी दिल्ली पुलिस द्वारा लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए खर्चें शामिल हैं।

6. **केंद्रीय पुलिस संगठन:** यह प्रावधान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, आप्रवासन ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, अशु गैस यूनिट, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण तथा अंतर-राज्यीय पुलिस वायरलैस योजना समन्वय निदेशालय के प्रशासनिक खर्चों के लिए है।

7. **शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान:** इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान संस्थान, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय, राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान पर होने वाला व्यय शामिल है। यह प्रावधान पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की इन योजनाओं के लिए भी है; (क) प्रशिक्षण उपाय, (ख) बेहतर कार्यकुशलता तथा जनता और पुलिस तक अधिक पहुंच आदि से संबंधित आर एंड डी परियोजना।

8. **अपराध विज्ञान और न्यायिक विज्ञान:** यह न्यायिक विज्ञान निदेशालय और केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाओं पर प्रशासनिक व्यय को कवर करता है। प्रावधान केंद्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए भी है जिसमें मानव संसाधन विकास और अनुसंधान और विकास योजनाओं और क्षेत्रीय न्यायिक लैबोरेटरीज और डीएनए केंद्रों की स्थापना पर विशेष बल दिया जाता है।

9. **आईवीएफआरटी (आव्रजन, वीजा तथा विदेशियों का पंजीकरण तथा नजर रखना):** यह प्रावधान मिशन मोड परियोजना के लिए है जिसका मूल उद्देश्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाते हुए एक ऐसा सुरक्षित और एकीकृत सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क विकसित करना है जिससे वैध यात्रियों को सुविधा हो सके।

10. **बीएसएफ एयर विंग, विमान नदी की नाव और हेलीबेस:** यह प्रावधान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के इस्तेमाल के लिए विमान, पानी की नावों और हेलीकाप्टरों की खरीद और रखरखाव के लिए है।

11.01. **रख-रखाव और बार्डर चेक पोस्ट ::** इस प्रावधान में सीमा संबंधी निर्माण कार्यों और सीमा जांच चौकियों के रखरखाव से संबंधित परिव्यय शामिल है।

11.02. **पूंजी परिव्यय:** यह प्रावधान कंटीले तारों की बाड़ लगाने, सड़कों के निर्माण, ओपी टॉवर के निर्माण, तेज रोशनी की व्यवस्था करने, भारत-बांग्लादेश और भारत-पाक सीमाओं पर उच्च तकनीक की निगरानी की व्यवस्था करने, पड़ोसी देशों के साथ लगने वाली भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर विभिन्न प्रकार की निर्माण गतिविधियों, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बेहतर निगरानी हेतु देश के तटीय क्षेत्रों में सचल जांच चौकियों की स्थापना करने के लिए है। इस प्रावधान में सीमापार चौकियों का निर्माण कार्य भी शामिल है।

12.01. **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठन की भवन परियोजनाएं:** यह प्रावधान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, आसूचना ब्यूरो, केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालयों, राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, विभागीय लेखाकरण संगठन और विशेष सुरक्षा ग्रुप के कार्यालय भवनों तथा रिहायशी भवनों के निर्माण के लिए है।

12.02. **दिल्ली पुलिस:** यह प्रावधान दिल्ली पुलिस के कार्यालय भवन तथा रिहायशी भवन संबंधी परियोजनाओं के लिए है।

13. **नेपाल पुलिस अकादमी के लिए सहायता:** यह प्रावधान नेपाल पुलिस अकादमी को सहायता प्रदान करने के लिए है।

14. **नार्कोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो:** यह प्रावधान स्वापक द्रव्यों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण लगाने के लिए राज्यों के संसाधनों में कमी को पूरा करने हेतु स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के माध्यम से राज्यों को प्रदान की जाने वाली अनुदानों पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए है।

15. **महिलाओं की सुरक्षा हेतु योजना:** यह प्रावधान लोक लेखा और व्ययों में निर्भया कोष में निधियां अंतरित करने के लिए है, राष्ट्रीय आपात अनुक्रिया प्रणाली तथा महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम, सुरक्षित शहर परियोजना, दिल्ली पुलिस द्वारा लागू महिलाओं की सुरक्षा स्कीमों के लिए है।

16. **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र:** यह प्रावधान भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र पर खर्च को पूरा करने के लिए है।

17. **भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण:** यह प्रावधान भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के व्ययों को वहन करने के लिए है जिसमें लोगों तथा सामान के सीमा पार से आने-जाने के बारे में बेहतर प्रशासन और सम्यक प्रबंधन के लिए एकीकृत जांच चौकियों के निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव की देखभाल करना तथा इन्हें विनियमित करना शामिल है।

18. **इंडिया रिजर्व बटालियन और बटालियन तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति:** यह प्रावधान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इंडिया रिजर्व बटालियनों के गठन तथा रखरखाव और बटालियनों की तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए है।

19. **कल्याण अनुदान और विविध:** यह प्रावधान क्रिप्टोग्राफिक दस्तावेजों के उत्पादन और अन्य सरकारों / विभागों को दिए गए शुल्क के लिए है। इस प्रावधान में प्रशिक्षण और विकास, ई-गवर्नेंस के लिए बुनियादी ढांचे, आतंकवादी / काउंटर विद्रोह में मारे गए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कामियों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि भुगतान करने के लिए भी शामिल है।

20. **अनुसंधान:** यह प्रावधान अनुसंधान गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए है।

21.01. **राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और सीसीटीएनएस:** इस मद में राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजनाओं के लिए प्रावधान है, इसमें पुलिस बुनियादी ढांचा, अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम और ई-जेल के उन्नयन के लिए विशेष परियोजनाओं / योजनाओं के लिए राज्यों को सहायता शामिल है।

21.02. **वामपंथ प्रभावित क्षेत्रों के लिए एसआरई एवं विशेष अवसंरचना स्कीम:** इस मद में सुरक्षा संबंधित व्यय (एसआरई) की योजना, विशेष बुनियादी ढांचा योजना और वामपंथी प्रभावित क्षेत्रों में 35 बुरी तरह प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, एलडब्ल्यूई प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता, विभिन्न राज्यों के लिए नागरिक क्रिया कार्यक्रम तथा मीडिया योजना गतिविधियों के लिये प्रावधान है।

22. **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम:** यह प्रावधान सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर होने वाले व्ययों को वहन करने के लिए है।